भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 569

जिसका उत्तर मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

उत्कृष्टता केंद्र

569. श्री भीमराव बी. पाटील:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र मशीनों, मशीनी उपकरणों, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी एवं स्मार्ट पंपों के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना एवं स्थान/स्थल के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अगले एक वर्ष में स्थापित किए जाने वाले नए उत्कृष्टता केंद्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम के अंतर्गत, देश में वस्त्र मशीनरी, मशीन उपकरणों, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पंपों के लिए निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं:-

(i). उच्च प्रौद्योगिकी शटलरहित करघों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलौर, कर्नाटक में वस्त्र मशीनरी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में वस्त्र मशीनरी के विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र।

(ii). 11 मशीन उपकरण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में मशीन उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(iii). 3 वेल्डिंग प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में वेल्डिंग प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र; और

(iv). स्मार्ट सबमर्सिबल पंपों को विकसित करने के लिए सि'टार्क, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्मार्ट पंप के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

(ख): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना शैक्षणिक और प्रौद्योगिकीय संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई थी।

(ग) और (घ): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम के अंतर्गत, अन्य के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए एक घटक के माध्यम से घरेलू केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रौद्योगिकीय गहनता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। संस्थानों की ओर से उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होते हैं, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी जांच की जाती है और उनको संसाधित किया जाता है।

******